न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO),मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : कपिल कुमार कोठारी, R.A.S.
राजस्व वाद संख्या : 186/17 (वि.प्रा.पत्र)
GCMS No : 2017/00525

1. श्री हमेरा पिता गणेश जाट निवासी मावली, देवलाई तह. मावली।

.....प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

.....विपक्षी

उपस्थित–1. श्री शंकरलाल डांगी, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. राजपेरोकार मावली, अधिवक्ता विपक्षी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक : 29.08.2022

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम के तहत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा मावली तह. मावली के आराजी नम्बर 1532 रकबा 10 बिस्वा भूम के साबिक आराजी नम्बर 675/1 मी. रकबा 2 बिस्वा भूमि की किस्म सेटलमेन्ट पूव आबादी दर्ज थी। दौराने सेटलमेन्ट राजस्व कर्मचारियों की गलती से उक्त साबिक आराजी नम्बर 675/1 मी. रकबा 2 बिस्वा बिलानाम भूमि की किस्म आबादी से मकान दर्ज कर दी गई है जो राजस्व सेटलमेन्ट कर्मचारियों को किस्म मकान दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं था फिर भी उक्त बिलानाम भूमि कि किस्म आबादी से मकान दर्ज कर दी गई है जिससे दुरूस्त कराया जाना आवश्यक हैं।

2. वर्तमान में आबादी में स्थित भूमि पर बने हुए मकानों के पट्टे राज्य सरकार द्वारा अभियान चला कर जारी किए जा रहे हैं लिए उक्त आबादी की भूमि में स्थित मुझ प्रार्थी के मकान का पट्टा बनवाना है लेकिन आराजी नम्बर 1532 रकबा 10

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Kothari
Date: 2022.10.07 15:23:59 IST
Reason: SelfAttested

बिस्वा भूमि कि किस्म मकान दर्ज होने से मुझ प्रार्थी के मकान का पट्टा नहीं बन रहा है इसलिए सेटलमेन्ट के पूर्व उक्त आराजीयात आबादी दर्ज थी इसलिए उक्त आराजीयात कि किस्म आबादी पूर्व रिकार्ड अनुसार दर्ज कराया जाना आवश्यक हैं राजस्व कर्मचारियों की गलती से प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात कि किस्म मकान दर्ज कर दी गई हैं। जिससे दुरस्त करा आबादी दर्ज कराने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र आप न्यायालय में प्रस्तुत हैं। अतः प्रार्थना है कि मौजा मावली के आराजी नम्बर 1532 रकबा 10 बिस्वा भूमि कि किस्म मकान के बजाय पूर्व रिकार्ड अनुसार आबादी दर्ज कराई जाने का आदेश बक्षाया जावें।

3. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी की ओर से राजपेरोकार द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया गत सेटलमेन्ट का चालु सेटलमेन्ट से रकबा मिलान अन्तर होने से प्रार्थी का प्रकरण खारिज किया जाने का निवेदन किया।

4. हमने उभय पक्षकारान की बहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। विपक्षी राजपेरोकार द्वारा अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। प्रार्थी के कथनानुसार आराजी नम्बर 1532 रकबा 10 बिस्वा के साबिक आराजी नम्बर 675/1 मी. रकबा 2 बिस्वा भूमि की किस्म सेटलमेन्ट पूर्व आबादी दर्ज थी। सेटलमेन्ट कर्मचारियों ने गलती से किस्म आबादी से मकान दर्ज कर दिये गये है, जिसे दुरस्त करा मकान के बजाय आबादी दर्ज कराये जाने का निवेदन किया हैं वहीं राजपेरोकार के तर्क अनुसार गत सेटलमेन्ट व चालु सेटलमेन्ट के रकबे में अन्तर हैं। इसलिए आराजी नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Kothari
Date: 2022.10.07 15:28:39 IST
Reason: SelfAttested

1532 में 2 बिस्वा भूमि के हद तक ही आबादी दर्ज किये जाने का विकल्प दिया हैं। दस्तावेज व प्रकरण के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि आराजी नम्बर 1532 वर्तमान में बिलानाम गैर काबिल काश्त होकर किस्म मकान अंकित हैं। प्रार्थी उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार भी नहीं हैं। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज भी पेश नहीं किया जिसके आधार पर यह साबित हो सके कि उक्त भूमि पर प्रार्थी का कोई हक हो और उस हक की हैसियत से प्रार्थी द्वारा मकान बनाये हों। रहा प्रश्न किस्म परिवर्तन का तो सेटमेन्ट अधिकारियों द्वारा वक्त सेटलमेन्ट भूमि को देखते हुए किस्म को परिवर्तित किया होगा। गत सेटमेन्ट एवं इस सेटलमेन्ट के रकबे में भी अन्तर हैं। यदि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया जाता है एवं किस्म आबादी दर्ज कर दी जाती है तो इससे राज्य सरकार को भारी क्षति होने की सम्भावना हैं। ऐसी स्थिति में किस्म परिवर्तन किया जाना उचित नहीं हैं। मौके पर यदि उक्त सम्पूर्ण आराजी में आबादी बसी हुई है तो प्रार्थी सम्बन्धित ग्राम पंचायत के माध्यम से आबादी दर्ज कराने की कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र हैं। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता हैं।

—: : <u>आदेश</u> : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 29.08.2022 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kapil Kumar Kothari
Date: 2022.10.07 15:23:59 IST
Reason: SelfAttested

(कपिल कुमार कोठारी)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली